



# पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

## मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002

दूरभाष नं० 0135-2643023 फ़ैक्स नं० 0135-2645249 email:-hr@ptcul.org

पत्रांक: 158 / मा०सं०एवंप्र०वि० / पिटकुल / आई०आर०-2 / 15

दिनांक: 01.02.2025


**विषय:-** हाईड्रो इलैक्ट्रिक इम्पलाईज यूनियन के 25वें वार्षिक सम्मेलन हेतु दिनांक 10.02.2025 एवं 11.02.2025 को विशेष आकस्मिक अवकाश के सम्बन्ध में।

समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक/  
अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक/  
अधिशायी अभियन्ता,  
पिटकुल,.....।

कृपया संज्ञान में लाना है कि केन्द्रीय महामंत्री, हाइड्रो इलैक्ट्रिक इम्पलाईज यूनियन (उत्तराखण्ड) द्वारा अपने पत्रांक 512 दिनांक 30.12.2024 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उनकी यूनियन का 25वाँ वार्षिक सम्मेलन दिनांक 10.02.2025 को अधिकारी क्लब, यमुना कालोनी, देहरादून में होना निश्चित हुआ है, जिस हेतु उनके द्वारा पिटकुल में कार्यरत हाइड्रो इलैक्ट्रिक इम्पलाईज यूनियन के सम्मेलन तथा कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों हेतु दिनांक 10.02.2025 एवं 11.02.2025 (02 दिवस) का विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

पूर्ववर्ती परिषदादेश संख्या 3488-बी/एस०ई०बी०/ए०एस०17(8एच)/78 दिनांक 05.12.83 तथा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के कार्यालय ज्ञाप संख्या 5648-औस-17/ पा०का०लि०/2003.188 ए०एस०/दिनांक 31.12.2003 के प्राविधानों के अनुसार संगठन के सदस्यों द्वारा किये जा रहे कार्यों की आवश्यकता/आकस्मिकता को ध्यान में रखते हुये जिसके लिये अवकाश स्वीकृत करने वाले सम्बन्धित अधिकारी एक मात्र निर्णायक होंगे, यूनियन के सम्मेलन तथा कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को दिनांक 10.02.2025 एवं 11.02.2025 (02 दिवस) का विशेष आकस्मिक अवकाश वार्षिक सम्मेलन/कार्यकारिणी में भाग लेने हेतु नियन्त्रक अधिकारी स्वीकृत कर सकते हैं

उपरोक्त आदेश प्रबन्ध निदेशक महोदय के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किये जा रहे हैं।

  
(ए०के० जुयाल)

महाप्रबन्धक (मा०सं०)(आ०)

पत्रांक: / मा०सं०एवंप्र०अनु० / पिटकुल / आई०आर०-2 / 15, तददिनांक

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, निदेशक (मा०सं०)/(परिचालन)/(परियोजना)/(वित्त), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ।
3. अधिशायी अभियन्ता (सू०प्रौ०), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को कारपोरेशन की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. केन्द्रीय महामंत्री, हाइड्रो इलैक्ट्रिक इम्पलाईज यूनियन (उत्तराखण्ड), यमुना क्षेत्रावास, यमुना भवन, देहरादून (उत्तराखण्ड)।

(ए०के० जुयाल)

महाप्रबन्धक (मा०सं०)(आ०)